वकील उभय पक्ष उपस्थित ।उभय पक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई एवं बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख का गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन किया गया । प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी रामसुखा ने वाद पत्र विभाजन के साथ प्रार्थना पत्र 212आर0टी0एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम कुतलपुराजाटान तहसील सवाई माधोपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 18 रकबा 0.34है0 , ख0नं0191 रकबा 0.01 है0,ख0नं0 192 रकबा 1.36 है0,ख0नंबर 193 रकबा 0.34है0 ,ख0नं0 193/364 रकबा 0.24है0 कुल किता 5 कुल रकवा 2.29है0 पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्तरूप से काबिज है।एवं आराजीयात भी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने के लिये निवेदन किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है । जिस पर संयुक्त रूप से प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या1लगायत 3 अपने पिता के समय से ही काबिज होकर काश्त करते आ रहे है । अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 बिना बंटवारा कराए ही प्रार्थी को रास्ता दिये बिना बेचने पर आमादा है । अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे कि विवादित आराजीयात खसरा नंबरा 18 रकबा 0.34है0 , ख0नं0191 रकबा 0.01 है0,ख0नं0 192 रकबा 1.36 है0,ख0नंबर 193 रकबा 0.34है0 ,ख0नं0 193/364 रकबा 0.24है0 कुल किता 5 कुल रकवा 2.29है0वाके ग्राम कुतलपुराजाटान को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द नही करे न ही रहन,बय ,मुन्तकिल करे । अप्रार्थीगण छोटेलाल व गंगाराम की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र में काउण्टरक्लेम भी प्रस्तुत किया । जिसमें अंकित किया है कि प्रार्थी दत्तक पुत्र के रूप में ग्राम लाखेरी मे निवास कर रहा है । इसके समर्थन में दिनांक 26–6–76 की लिखापढी स्टाम्प पर होने व प्रार्थी के हस्ताक्षर होने से प्रार्थी इस तथ्य से स्टोप्ड है कि ग्राम कुतलपुराजाटान में स्थित भूमि पर कभी भौतिक कब्जा भी नही रहा । स्वयं प्रार्थी ने जवाब काउण्टर क्लेम में गोद जाने के तथ्य का खण्डन किया है । अप्रार्थी संख्या 4 व 5 ने प्रार्थी के पक्ष में सहमति का जवाब प्रस्तुत किया है । (1)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहका
जो इस हुक्म की तामी
में जारी हुए

अतः अप्रार्थीगण 1व 3 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें ।

पत्रावली पर प्रार्थना पत्र जवाब काउण्टर क्लेम व संलग्न राजस्व अभिलेखो का गहनता से अवलोकन किया गया अप्रार्थी छोटेलाल व गंगाराम द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम के साथ संलग्न स्टाम्प दिनांक 26–6–76 की लिखापढी का भी अवलोकन किया जिसके अनुसार विवादित भूमि में प्रार्थी का किसी भी तरह का हक व अधिकार नही होना स्वीकार किया है, इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होने के कारणे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । तथा अप्रार्थी संख्या 1व 3 छौटूलाल व गंगाराम द्वारा प्रस्तुत काउण्टरक्लेम के अनुसार विवादित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की होने के कारण तथा विवादित भूमि पर संयुक्त खातेदार का संयुक्त रूप से कब्जा होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी रामसुखा (मृतक)के विधिक वारिसानो को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वाके ग्राम कुतलपुराजाटन में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 18 रकबा 0.34है0,खसरा नंबर ख0 नं0191 रकबा 0.01 है0,ख0 नं0 1.92 रकबा 1.36है0,ख0नंबर 193 रकबा 0.34है0 ,ख0नं0 193/364 रकबा 0.24है0 कुल किता 5 कुल रकवा 2.29है0की रहन ,वय ,मुन्तकिल नही करे तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथावत् स्थिति ताफैसला बाद पत्र बनाये रखे। निर्णय सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर बाद तकमील वाद पत्र के साथ हमफीता रहे ।

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर